न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 20/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/ 00020)

हरदीश सिह पुत्र सोहन सिह जाति कम्बोजसिख निवासी कमरानी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मनजीत सिह पुत्र सोहन सिह
2. सुबेग सिह पुत्र जसवीर सिह
3. जसवीर कौर पत्नी जोगासिह
4. राणा सिह | पि. जोगा सिह
5. अंग्रेज सिह
6. कुलदीप कौर पुत्री जोगा सिह

जाति कम्बोजसिख निवासी कमरानी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांकः 12.12.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के प्रकरण सं. 02/2016 निर्णय दिनांक 16.12.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के पुनर्वालोकन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 02/2016 अनवान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी बनाम हरदीशसिह वगैरह के निर्णय दिनांक 16.12.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 16.12.2016 को अपास्त कर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.12.2014 को यथावत रखा जाने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं 1 ता 6 के निमित साधारण नोटिस/रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट सं. 7 तहसीलदार टिब्बी द्वारा दिनांक 14.06.2013 को प्रकरण संख्या 25/2013 अनवान स्टेट बनाम हरदीश सिह में रेफरेश पेश किया जिसमें दिनांक 16.12.2014 की कार्यवाही ड्रोप करने की कार्यवाही करने का आदेश अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित किया गया तथा रेफरेंस की कार्यवाही ड्रोप करने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 एच.एम.एच के प. नम्बर 165/271 (51) किला नं. 6, 15/0.506 है. नहरी की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि जिसे वर्ष 1955 से पूर्व जोहड़ पायतन के रिकार्ड होना अंकित किया गया है। वागगत भूमि चिपते होने के कारण स्मालल पेच नियमो के जरिये आदेश दिनांक 22.01.1983 उपखण्डाधिकारी द्वारा अलॉट की गई है जो पुख्ता अलाटमेट है जिसके विरूद्व एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अनवानी ग्रा. पं. शेरेकां बनाम राजस्थान राज्य आदि पेश की गई जिसमे स्टेट को पार्टी बनाया गया उक्त अपील में दिनांक 13.03.90 को दोनो पक्षो को सुनकर जो आदेश दिया वह विधि संवत है। उसके विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर मे उक्त निर्णय को चुनौती दी गई जिसका निर्णय दिनांक 25.08.95 को किया गया तथा आवंटन आदेश दिनांक 22.01.83 तथा 13.03.90 बहाल रखे गये। चक 4 एच.एम.एच के प. नं. 165/271 (51) किला नं. 6, 15/0.506 है. भूमि वर्तमान में अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। राज्य पक्ष की ओर से रैफ्रेंस अविधिक रूप से प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिजी है। उच्च न्यायालय के जिस आदेश के आधार पर यह रैफ्रेस प्रस्तुत किया है व जनहित याचिका का मिन अप्रार्थी से कोई सरोकार नही है। मिन प्रार्थी का पुख्ता आंवटन है, राज्य सरकार द्वारा जो पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया है व काबिल निरस्ती है क्योकि पुनर्विलोकन केवल लिपिकलीय त्रुटि की हद तक ही किया जा सकता है इसके द्वारा समस्त निर्णय को बदला नही जा सकता तथा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जो आदेश दिनांक 16.12.2014 को पारित किया गया है वह विधि सम्मत है । उक्त निर्णय में राजकीय अधिवक्ता समस्त कार्यवाही में उपस्थित थे। जिससे निर्णय दिनांक से प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी थी। इसलिए पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र हर तरह से मियाद बाहर है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही किया गया व ना ही इस संबध में अपने आदेश में कोई उल्लेख किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2016 गलत विधि विरूद्व, अनुचित है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। वादगत भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के साथ चिपते होने के कारण स्माल पेच नियमो मे दिनांक 22.01.1983 को उपखडाधिकारी द्वारा अलॉट की गई है जो पुख्ता अलाटमेट है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2016 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2014 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जावे। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2011 पृष्ठ 786, RRD 1999 पृष्ठ 98, RRD 1994 पृष्ठ 683, RRD 1999 पृष्ठ 89, RRD 1996 पृष्ठ 198, , RRD 1975 पृष्ठ 408, RRD 1984 पृष्ठ 261, RRD 2010 पृष्ठ 340, RRD 1984 पृष्ठ 446, RRD 1994 पृष्ठ 275, RRD 1994 पृष्ठ 277, DNJ 2014 (S C), 40, DNJ 2016 48, DNJ 2008 (S C), 715, एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 47: पुनर्विलोकन का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के पुनर्वालोकन प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 16.12.2016 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2016 को अपास्त कर आदेश दिनांक 16.12.2014 को यथावत रखने का निवदेन किया किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में प्रस्तुत पुनर्वालोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2014 के विरूद्व अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने दिनांक 16.12.2016 को निर्णय पारित किया। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने दिनांक 16.12.2016 का निर्णय पारित करते समय मियाद के बिन्दु का निस्तारण किये बिना निर्णय पारित कर दिया, जबकि उनको मेरिट के साथ मियाद का बिन्दु भी निस्तारण करना चाहिए था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे प्रकरण अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में मियाद के बिन्दू का निस्तारण करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 12.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर